1 अप्रैल, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-19

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 17)

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; तथा,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इलिनॉय राज्य के पास कोविड-19 (COVID-19) से पीड़ित, एवं अन्य रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त शैया क्षमता, आपूर्तियां, एवं प्रदाता हों; और

जबकि, इलिनॉय की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के पास देखभाल की आवश्यकता वाले सभी लोगों को देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो यह सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियां और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की राह की रुकावटें या बाधाएं हटाना आवश्यक है; और,

जबकि, इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) तथा इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, DPH) ने उद्घोषणाओं, आपातकालीन नियमों एवं परिवर्तनों के माध्यम से, निष्क्रिय और राज्य-से-बाहर के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को इलिनॉय राज्य में कार्य हेतु वापस आने में समर्थ बनाने के लिए, उपाय किए हैं और वे लगातार उपाय कर रहे हैं; और,

जबकि, DPH ने शैया क्षमता बढ़ाने और कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक स्तर की देखभाल प्रदान करने में अस्पतालों को समर्थ बनाने के उपाय किए हैं और वह लगातार उपाय कर रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट (IEMA अधिनियम), 20 ILCS 3305/6 का अनुभाग 6(c)(1) यह उपबंध करता है कि राज्यपाल (गवर्नर) "राज्यपाल (गवर्नर) को प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं के अंदर इस अधिनियम के उपबंधों के पालन के लिए समस्त विधिसम्मत, आवश्यक आदेश, नियम, एवं विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने, एवं उन्हें निष्प्रभावी करने" के लिए अधिकृत है; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 15, 20 ILCS 3305/15, यह उपबंध करता है कि "न तो राज्य, राज्य का कोई भी राजनैतिक उप-संभाग, और न ही, सिवाय सकल उपेक्षा या स्वेच्छापूर्वक कदाचार के मामलों के, राज्यपाल (गवर्नर), निदेशक (डायरेक्टर), किसी राजनैतिक उप-संभाग का प्रधान कार्यकारी अधिकारी (प्रिंसिपल एक्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर), या उनमें से किसी के भी अभिकर्ता, कर्मचारी या प्रतिनिधि, जो इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अनुसरण में लागू किसी नियम या विनियम का अनुपालन करते समय या अनुपालन करने का प्रयास करते समय किसी आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया या बहाली गतिविधियों में संलग्न हों, उक्त गतिविधि के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें चोट/क्षति पहुंचने, या संपत्ति को क्षति के लिए दायित्वाधीन होंगे"; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 21(b), 20 ILCS 3305/21, यह उपबंध करता है कि "इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य, या राज्य के किसी राजनैतिक उप-संभाग के साथ एवं उसके निर्देशन के अधीन किसी अनुबंध के निष्पादन में रत कोई भी निजी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम (कॉर्पोरेशन) और उक्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम के कर्मचारी एवं अभिकर्ता, सिवाय स्वेच्छापूर्वक कदाचार की स्थिति में, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट/क्षति पहुंचने, या किसी संपत्ति को क्षति होने का कारण होने के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से दायित्वाधीन नहीं होंगे"; और,

जबकि, IEMA अधिनियम का अनुभाग 21(c) , 20 ILCS 3305/21, यह उपबंध करता है कि "किसी वास्तविक या आसन्न आपदा के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य, या राज्य के किसी राजनैतिक उप-संभाग को सहायता या सलाह देने वाला कोई भी निजी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम (कॉर्पोरेशन) और उक्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान या निगम का कोई भी कर्मचारी या अभिकर्ता, सिवाय स्वेच्छापूर्वक कदाचार की स्थिति में, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट/क्षति पहुंचने, या किसी संपत्ति को क्षति होने का कारण होने के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से दायित्वाधीन नहीं होंगे"; और,

जबकि, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस, EMS) प्रणालियां अधिनियम का अनुभाग 3.150(a), 210 ILCS 50/3.150, यह उपबंध करता है कि वे व्यक्ति "जो जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट [ऑफ़ पब्लिक हेल्थ] द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सदाशयता से [] आपातकालीन या ग़ैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सामान्य क्रम में, या किसी आपातकाल में, उक्त सेवाएं प्रदान करने में उनके कृत्यों या लोपों के लिए नागरिक (दीवानी) रूप से तब तक दायित्वाधीन नहीं होंगे जब तक कि उक्त कृत्य या लोप, जिनमें इस अधिनियम के अनुसरण में विकसित प्रोटोकॉल्स के अनुरूप आस-पास के अस्पतालों या चिकित्सा इकाइयों को छोड़ देना (बायपास कर देना) शामिल है, स्वेच्छापूर्वक एवं निर्दयतापूर्ण कदाचार का गठन न करते हों"; और,

जबकि, नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), 745 ILCS 49, यह उपबंध करता है कि "दूसरों की सहायता के लिए स्वेच्छा से अपना समय एवं प्रतिभा प्रदान करने वाले उसके नागरिकों", विशेष रूप से स्वास्थ्य

देखभाल पेशेवरों, “के उदार एवं दयावान कृत्यों” को नागरिक (दीवानी) दायित्व से छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे कृत्य स्वेच्छापूर्वक या निर्दयतापूर्ण कदाचार न दर्शाते हों;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और IEMA अधिनियम, 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(12), 15, और 21 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की शेष अवधि तक लागू रहेगा, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है:

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

(a) “स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां” का अर्थ है:

i. किसी राज्य अभिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त, प्रमाणित, या अनुमोदित और निम्नलिखित द्वारा कवर होने वाली इकाइयां: 77 इलि. (Ill.) प्रशासन (Admin.) अनुभाग 1130.215(a)-(f); इलिनॉय विश्वविद्यालय अस्पताल अधिनियम (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलिनॉय हॉस्पिटल एक्ट), 110 ILCS 330; वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी अधिनियम (ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर डिलीवरी एक्ट), 210 ILCS 3/35(2)-(4); आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (EMS) प्रणाली अधिनियम (एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेस (EMS) सिस्टम्स एक्ट), 210 ILCS 50; या पूर्वसैनिक कार्य विभाग अधिनियम (डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटरन्स अफ़ेयर्स एक्ट), 20 ILCS 2805;

ii. राज्य-संचालित विकासात्मक केंद्र (डेवलपमेंटल सेंटर्स) जो संघीय मेडिकेयर एवं मेडिकएड सेवा केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेस) द्वारा प्रमाणित हैं, और लाइसेंसशुदा, राज्य-संचालित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (मेंटल हेल्थ सेंटर्स) जिनका गठन मानसिक स्वास्थ्य एवं विकासात्मक अशक्तताएं प्रशासनिक अधिनियम (मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट), 20 ILCS 1705/4 के अनुसरण में किया गया है;

iii. लाइसेंसशुदा समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं, जैसी कि समुदाय-एकीकृत जीवन-यापन व्यवस्थाएं अनुज्ञापन एवं प्रमाणन अधिनियम (कम्युनिटी-इंटिग्रेटेड लिविंग अरेंजमेंट्स लाइसेंसिंग एंड सर्टिफ़िकेशन एक्ट), 210 ILCS 135/2 में परिभाषित हैं;

iv. लाइसेंसशुदा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स), जैसे कि सामुदायिक सेवाएं अधिनियम (कम्युनिटी सर्विसेस एक्ट), 405 ILCS 30 में परिभाषित हैं;

v. सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (सोशल सिक्यॉरिटी एक्ट), 42 U.S.C. § 1396d(l)(2)(B) के अंतर्गत संघीय रूप से अर्ह स्वास्थ्य केंद्र; और

vi. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा कोई भी सरकार-द्वारा-संचालित स्थल जिसे कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया देने के प्रयोजन से स्थापित किया गया हो।

"स्वास्थ्य देखभाल इकाई" एकवचन रूप है और इसका बहुवचन रूप "स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां" है।

(b) "स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर" का अर्थ उन सभी लाइसेंसशुदा या प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल या आपातकालीन चिकित्सा सेवा कर्मियों से है जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, IMEA) या DPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

(c) "स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी" का अर्थ उन सभी स्वयंसेवियों या चिकित्सा या नर्सिंग विद्यार्थियों से है जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो (i) कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में सेवाएं, सहयोग, या समर्थन प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं ; या (ii) जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IMEA या DPH के निर्देशाधीन कार्य कर रहे हैं।

अनुभाग 2. IEMA अधिनियम के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), 20 ILCS 3305/15 एवं 21(b)-(c) तथा नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), 745 ILCS 49, के अनुसरण में, मैं इस कार्यकारी आदेश के अनुभाग 1 में यथा परिभाषित समस्त स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, और स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवियों को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) द्वारा मान्यता प्राप्त आपदा (कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप) पर राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश देता हूं। स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" में DPH के कोविड-19 (COVID-19) – ऐच्छिक शल्यक्रिया कार्यविधि मार्गदर्शन (इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीज़र गाइडेंस) में यथा परिभाषित ऐच्छिक शल्यक्रियाओं (सर्जरियों) और कार्यविधियों को रद्द या स्थगित करना शामिल होना आवश्यक है, बशर्ते उक्त स्वास्थ्य देखभाल इकाई में ऐच्छिक शल्यक्रियाएं (सर्जरी) या कार्यविधियां की जाती हों। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" में शैया संख्या बढ़ाना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का संरक्षण करना, या कोविड-19 (COVID-19) रोगियों के उपचार हेतु तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठाना जैसे उपाय शामिल होना आवश्यक है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" का अर्थ कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IEMA या DPH के निर्देशाधीन कार्य करने से है। स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवियों के मामले में, राज्य की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए "सहायता प्रदान करने" का अर्थ कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप की प्रतिक्रिया में किसी स्वास्थ्य

देखभाल इकाई में सेवाएं, सहायता, या समर्थन प्रदान करने, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की प्रतिक्रिया में IEMA या DPH के निर्देशाधीन कार्य करने से है।

अनुभाग 3. IEMA अधिनियम के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), 20 ILCS 3305/15 और 21(b)-(c) के अनुसरण में, मैं निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के प्रभावी रहने के दौरान, इस कार्यकारी आदेश के अनुभाग 1 में यथा परिभाषित स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां, कथित रूप से स्वास्थ्य देखभाल इकाई के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंची किसी ऐसी चोट/क्षति या हुई ऐसी मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेंगी जो ऐसे समय पर पहुंची या हुई हो जब स्वास्थ्य देखभाल इकाई कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने के क्रम में संलग्न हो, बशर्ते यह न सिद्ध हो कि उक्त चोट/क्षति या मृत्यु का कारण, यदि 20 ILCS 3305/15 लागू है तो उक्त स्वास्थ्य देखभाल इकाई की सकल उपेक्षा या उसका स्वेच्छापूर्वक कदाचार था, या यदि 20 ILCS 3305/21 लागू है तो उसका स्वेच्छापूर्वक कदाचार था।

अनुभाग 4. IEMA अधिनियम के अनुभागों 15 और 21(b)-(c), 20 ILCS 3305/15 और 21(b)-(c) के अनुसरण में, मैं निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के प्रभावी रहने के दौरान, इस कार्यकारी आदेश के अनुभाग 1 में यथा परिभाषित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, कथित रूप से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंची किसी ऐसी चोट/क्षति या हुई ऐसी मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेंगे जो ऐसे समय पर पहुंची या हुई हो जब स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने के क्रम में संलग्न हो, बशर्ते यह न सिद्ध हो कि उक्त चोट/क्षति या मृत्यु का कारण, यदि 20 ILCS 3305/15 लागू है तो उक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सकल उपेक्षा या उसका स्वेच्छापूर्वक कदाचार था, या यदि 20 ILCS 3305/21 लागू है तो उसका स्वेच्छापूर्वक कदाचार था।

अनुभाग 5. IEMA अधिनियम के अनुभाग 21(c), 20 ILCS 3305/21(c), और नेक मानव अधिनियम (गुड समैरिटन एक्ट), 745 ILCS 49 के अनुसरण में, मैं निर्देश देता हूं कि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के प्रभावी रहने के दौरान, इस कार्यकारी आदेश के अनुभाग 1 में यथा परिभाषित कोई भी स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी, कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप पर प्रतिक्रिया में सेवाएं, सहायता, या समर्थन प्रदान करने के द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने के क्रम में कथित रूप से उक्त स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी के किसी कृत्य या लोप के कारण पहुंची किसी चोट/क्षति या हुई मृत्यु के लिए नागरिक (दीवानी) दायित्व से मुक्त रहेगा, बशर्ते यह न सिद्ध हो कि उक्त चोट/क्षति या मृत्यु का कारण उक्त स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी का स्वेच्छापूर्वक कदाचार था।

अनुभाग 6. इस कार्यकारी आदेश में शामिल किसी भी बात का अर्थ नागरिक (दीवानी) दायित्व से किसी भी लागू छूट, जो किसी स्वास्थ्य देखभाल इकाई, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, या स्वास्थ्य देखभाल स्वयंसेवी के लिए उपलब्ध है, को प्रतिस्थापित या सीमित करने में नहीं लिया जाएगा।

अनुभागा 7. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 1 अप्रैल, 2020

राराज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 1 अप्रैल, 2020